राजस्थान सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

विधिक माप विज्ञान टीम ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की कार्यवाही

टीम द्वारा 34 नॉन-ऑटोमेटिक व्हेइंग इंस्ट्रूमेन्ट्स की जाँच

निर्धारित मानक पर सही नहीं मिलने पर चार मशीनों को किया जब्त

जयपुर, 7 जुलाई। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लगेज एवं सामान का तौल सही नहीं किए जाने की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान की टीम ने कार्यवाही करते हुए एयरपोर्ट परिसर के टर्मिनल 2 के डिपार्चर सेक्शन पर 34 नॉन-ऑटोमेटिक व्हेइंग इंस्ट्रूमेन्ट्स की जाँच की गयी। जांच के दौरान चार नॉन-ऑटोमेटिक व्हेइंग इंस्ट्रूमेन्ट्स निर्धारित मानक पर सही नहीं पाये गए, जिस पर टीम द्वारा इन्हें जब्त कर लिया गया।

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि टीम को जांच के दौरान एयर एशिया की लेन नम्बर 6, एयर इंडिया की लेन नम्बर 14, स्पाइस जेट की लेन नम्बर 16 एवं 17 पर लगी तौलने की मशीन सटीक वजन नहीं दिखा रही थी। उन्होंने बताया कि इन मशीनों पर मानक भार से जांच करने पर वजन की अंतर भिन्नता 50 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में पाई गई , जिस पर जांच दल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मशीनों को जब्त कर लिया गया है।